

वरिष्ठ**पुलिस****अधीक्षक****जनपद****आजमगढ़**

सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 271/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-31.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 31.07.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

01.थाना-कोतवाली: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रूपयें का इनामिया अपराधी पवन गिरफ्तार, अवैध असलहा व कारतूस भी बरामद ।

पूर्व की घटना-

दिनांक- 30.07.2024 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत एक महिला ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी थी कि रात्रि के समय वो घर जाते समय विपक्षी सुजीत शुक्ला व 04 अज्ञात द्वारा वादिनी के अगवाकर अकेले में ले जाकर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी, जिसमें थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 429/24 धारा 127(2)/70(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया, तत्कालीन थाना प्रभारी शशिमौली पाण्डेय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से 1. पवन दूबे पुत्र सत्यदेव दूबे निवासी ग्राम बांसगांव थाना तरवां हालपता ग्राम इटौरा पोस्ट चण्डेश्वर थाना सिधारी उम्र करीब 32 वर्ष आदि 05 नफर का नाम प्रकाश में आया, जिसमें गैंगशुदा चार्ट को दिनांक- 15.04.2025 को श्रीमान् जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक- 20.04.2025 को वादी मुकदमा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली की तहरीर पर 05 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 191/25 धारा 2(b)(i), 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त पवन उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा पूर्व में 25 हजार रूपयें का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसके क्रम में-

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण -

दिनांक 30.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रूपयें के इनामिया अपराधी पवन दूबे पुत्र सत्यदेव दूबे निवासी ग्राम बांसगांव थाना तरवां हालपता ग्राम इटौरा पोस्ट चण्डेश्वर थाना सिधारी उम्र करीब 32 वर्ष को 1 अदद कट्टा 0.315 बोर व 1 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर के साथ समय 21.30 बजे ठण्डी सड़के के ऊपर बंधा रोड लेन से पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 362/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट. पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-पवन दूबे पुत्र सत्यदेव दूबे निवासी ग्राम बांसगांव थाना तरवां हालपता ग्राम इटौरा पोस्ट चण्डेश्वर थाना सिधारी उम्र करीब 32 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

1- 1 अदद कट्टा 0.315 बोर व 1 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद ।

पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0 362/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट. थाना कोतवाली आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 370/13 धारा 307/427/504/506 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 08/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़

3.मु0अ0सं0 429/24 धारा 127(2)/70(1) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

4.मु0अ0सं0 191/25 धारा 2(b)(i), 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- यादवेन्द्र पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक , उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी प्रभारी चौकी रोडवेज ,का0 सत्येन्द्र पाठक, का0 अखिलेश कुशवाहा , हे0का0 सर्वेश विक्रम,का0 अभय प्रताप सिंह थाना कोतवाली आजमगढ़



02.थाना मुबारकपुर: किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

दिनांक 30.07.2025 को कस्बा जहानागंज जनपद आजमगढ़ स्थित वादी मुकदमा द्वारा स्वयं के नाबालिग बालक के साथ चार अभियुक्त क्रमशः 1. मुहम्मद अहमद पुत्र बदरुद्दीन 2. सलीम पुत्र रिजवान 3. जानु पुत्र मुमताज निवासीगण मोहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 4. अरशद आजमी पुत्र असलम निवासी सईदनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा अप्राकृतिक दुष्कर्म किये जाने के सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 339/2025 धारा 351(3) बीएनएस व 3 /4(2) पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना उ0नि0 मुरारी मिश्र द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 31.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय के निर्देशन में उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.अरशद आजमी पुत्र असलम निवासी सईदनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष 2.मो0 अहमद पुत्र बदरुद्दीन निवासी कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष 3.नावेद पुत्र अहमद रजा निवासी कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को टड़िया मोड़ से को समय 10.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.अरशद आजमी पुत्र असलम निवासी सईदनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष
- 2.मो0 अहमद पुत्र बदरुद्दीन निवासी कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष
- 3.नावेद पुत्र अहमद रजा निवासी कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 339/2025 धारा 351(3) बीएनएस व 3 /4(2) पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

उ0नि0 मुरारी मिश्रा मय हमराह हे0का0 रविन्द्र सिंह, हे0का0 आशीष कुमार हे0का0 भानु पाण्डेय का0 कलामुद्दीन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़



03.थाना-तहबरपुर: शादी का झांसा देकर किशोरी का अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 27.07.2025 को आवेदक थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के दिये प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 23.07.2025 को रात्रि में मेरी पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को शिव सागर पुत्र लालजीत राम ग्राम ददरा थाना तहबरपुर द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में था, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 171/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस बनाम 1. शिव सागर पुत्र लालजीत राम ग्राम ददरा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ बतपत्तीशी उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही है। जिसके फलस्वरूप -

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 31.07.2025 को उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शिव सागर पुत्र लालजीत राम ग्राम ददरा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को पुर्वान्वल एक्सप्रेसवे के नीचे बने ददरा अण्डरपास से समय 11.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. शिव सागर पुत्र लालजीत राम ग्राम ददरा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष
पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 171/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1 उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

2. का0 ताहिर अली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़



प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 31.07.2025, जनपद आजमगढ़

जनपद आजमगढ़ से कुल 06 (02 निरीक्षक, 01 उ0नि0, व 03 मुख्य आरक्षी) पुलिस कर्मी हुए सेवानिवृत्त।

आज दिनांक- 31.07.2025 को जनपद आजमगढ़ पुलिस से 02 निरीक्षक, 01 उप-निरीक्षक व 03 मुख्य आरक्षी सेवानिवृत्त हुए, जिनकी विदाई का कार्यक्रम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मान पूर्वक मिठाई और गले में फूल माला पहनाकर व मोमेन्टो देकर विदाई की गई, सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को उनके आने वाले भविष्य के लिए स्वास्थ्यता की कामना की गयी। उक्त कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारीगण का विवरण:-

01. निरीक्षक सुरेश चन्द्र यादव परिवहन जनपद आजमगढ़।
02. निरीक्षक राकेश मिश्र गोपनीय कार्यालय अपर पुलिस अधीक्षक नगर, जनपद आजमगढ़।
03. उ0नि0 नागेन्द्र कुमार पाण्डेय, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
04. मुख्य आरक्षी सतीश कुमार सिंह, न्यायालय सुरक्षा, जनपद आजमगढ़।
05. मुख्य आरक्षी कालिन्दर यादव, पुलिस लाइन, जनपद आजमगढ़।
06. मुख्य आरक्षी रमेश प्रसाद, पुलिस लाइन जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 31.07.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविकशन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 1,01500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बिलरियागंज: हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 1,01500 रुपये के अर्थदण्ड

- दिनांक-02.04.2020 को वा मुकदमा विवेक सिंह पुत्र स्व0 रामानुज सिंह निवासी खानपुर भगतपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 02.04.2020 को अभियुक्तगण 1. राजीव कुमार सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह 2. सत्य नारायण सिंह पुत्र सदाफल सिंह निवासीगण खानपुर भगतपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए लाईसेंस बन्दूक से गोली मारकर मेरे पिता रामानुज की हत्या कर दिया गया।
- अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 47/2020 धारा-302, 34, 504, 506, 323, भादवि व 3/25/27/30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।
- अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
- मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए हैं।
- जिसके क्रम में दिनांक- 31.07.2025 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. राजीव कुमार सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह 2. सत्य नारायण सिंह पुत्र सदाफल सिंह निवासीगण खानपुर भगतपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 1,01500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।